न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :- **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 360 / 2018

अनवान : –

1. आस्था पुत्री ओमप्रकाश उम्र 12 साल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता संरक्षिका सुमन पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. अप्रिता पुत्री ओमप्रकाश उम्र 10 साल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता संरक्षिका सुमन पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. प्रवीण पुत्र ओमप्रकाश उम्र 8 साल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता संरक्षिका सुमन पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. गीता पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. रविन पुत्र सुभाषचन्द्र जरिये बली माता गीता देवी बेवा सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. रमना पुत्री सुभाषचन्द्र जरिये बली माता गीता देवी बेवा सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. कलावती पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
6. हिरालाल पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. कृष्णचन्द्र पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. मैनेजर शाखा प्रबन्धक बैक शाखा नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 03/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/575 के प0न0 344/353(76) के किला न0 7/1 की 0.0250, 14/0.1770, 17/0.2400, 18 ता 20 की 0.759, 21 ता 23 की 0.759, 24 व 25 की 0.2910, प0न0 343/353(77) के किला न0 16–24–25 की 0.7070, प0न0 342/354(122) के किला न0 16–25 की 0.506, प0न0 343/354(123) किला न0 4/0.253, 5/0.2280, 7/0.253, 19 ता 22 की 1.0120, प0न0 344/354(124) के किला न0 1 ता 5 की 1.1130 हैक्ट कुल 6.3230 हैक्ट भूमि वादीगण के दादा महेन्द्र पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दाहासाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादीगण के दादा महेन्द्र पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज थी। महेन्द्र पुत्र गिरधारी के देहान्त के बाद उक्त भूमि कलावती पत्नी महेन्द्र व सुभाषचन्द्र, ओमप्रकाश पुत्रान महेन्द्र के नाम दर्ज हुई। सुभाषचन्द्र का देहान्त हो चुका है। रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/575 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि की 0.5269 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के हिस्सा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि है जिसको प्रतिवादी स0 1 बैय कर सकता था लेकिन प्रतिवादी स0 1 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि यानि की 0.232 हैक्ट भूमि का बेचान प्रतिवादी स0 6 व 7 को अवैध तरीके से बैयनामा करवा दिया। प्रतिवाद स0 1 द्वारा अपने हिस्सा से अधिक भूमि को बैय किया गया है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है इसलिए रेाही मौजा 3 बारानी तहसील नेाहर के खाता स0 61/575 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1.3487 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर वादीगण अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की उत्तदाता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उक्त भूमि में से 3 बीघा भूमि समस्त प्रतिफल देकर खरीद की थी उत्तरदाता खरीदशुदा भूमि पर काबिज है उक्त बैयनामा आदिनांक वैध है जिसे वादी शुन्य घोषित करवा पाने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिलस की गई।

बहस वक़ील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादीगण के दादा महेन्द्र पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज थी। महेन्द्र पुत्र गिरधारी के देहान्त के बाद उक्त भूमि कलावती पत्नी महेन्द्र व सुभाषचन्द्र, ओमप्रकाश पुत्रगण महेन्द्र के नाम दर्ज हुई। सुभाषचन्द्र का देहान्त हो चुका है। रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/575 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि की 0.5269 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के हिस्सा की भूमि है जिसको प्रतिवादी स0 1 बैय कर सकता था लेकिन प्रतिवादी स0 1 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि यानि की 0.232 हैक्ट भूमि का बेचान प्रतिवादी स0 6 व 7 को अवैध तरीके से बैयनामा करवा दिया। प्रतिवाद स0 1 द्वारा अपने हिस्सा से अधिक भूमि को बैय किया गया है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है इसलिए रेाही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/575 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1.3487 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर वादीगण अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण स0 6 व 7 ने बहस में निवेदन किया की प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी स0 6 व 7 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उक्त भूमि में से 3 बीघा भूमि समस्त प्रतिफल देकर खरीद की थी प्रतिवादीगण खरीदशुदा भूमि पर काबिज है उक्त बैयनामा आदिनांक वैध है जिसे वादी शुन्य घोषित करवा पाने के अधिकारी नही है। वादी द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 61/61 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में 13487/63230 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादीगण के दादा महेन्द्र पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज थी। महेन्द्र पुत्र गिरधारी के देहान्त के बाद उक्त भूमि कलावती पत्नी महेन्द्र व सुभाषचन्द्र, ओमप्रकाश पुत्रगण महेन्द्र के नाम दर्ज हुई। सुभाषचन्द्र का देहान्त हो चुका है। रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/575 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि की 0.5269 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के हिस्सा की भूमि है जिसको प्रतिवादी स0 1 बैय कर सकता था लेकिन प्रतिवादी स0 1 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि यानि की 0.232 हैक्ट भूमि का बेचान प्रतिवादी स0 6 व 7 को अवैध तरीके से बैयनामा करवा दिया। प्रतिवाद स0 1 द्वारा अपने हिस्सा से अधिक भूमि को बैय किया गया है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है इसलिए रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 61/575 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1.3487 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की चित्रप्रति के मुताबिक प्रतिवादी स0 1 द्वारा उक्त भूमि 2.1076 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज थी में से 0.759 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 द्वारा प्रतिवादी स0 6 व 7 को जरिये बैयनामा बैय कर दी गई थी अर्थात उक्त भूमि में अपने हक से 0.232 हैक्ट भूमि का बेचान कर दिया था। अधिवक्ता प्रतिवादी स0 5 व 6 ने कथन किया की हमारा बैयनामा आदिनांक तक वैध है एवं प्रतिवादीगण द्वारा जरिये बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर उक्त भूमि में से 3 बीघा भूमि खरीद की गई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसलिए वादी बैयनामा को शुन्य घोषित करवा पाने के अधिकारी नही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो हमे कोई ऐतराज नही है, प्रतिवादीगण के उक्त कथनों पर अधिवक्ता वादी ने सहमति जाहिर की। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 61/61 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में 13487/63230 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 360/2018

अनवान : –

1. आस्था पुत्री ओमप्रकाश उम्र 12 साल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता संरक्षिका सुमन पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. अप्रिता पुत्री ओमप्रकाश उम्र 10 साल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता संरक्षिका सुमन पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. प्रवीण पुत्र ओमप्रकाश उम्र 8 साल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता संरक्षिका सुमन पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. गीता पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. रविन पुत्र सुभाषचन्द्र जरिये बली माता गीता देवी बेवा सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. रमना पुत्री सुभाषचन्द्र जरिये बली माता गीता देवी बेवा सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. कलावती पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
6. हिरालाल पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. कृष्णचन्द्र पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. मैनेजर शाखा प्रबन्धक बैक शाखा नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 360 सन 2018 निर्णय दिनांक 03/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 61/61 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में 13487/63230 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:06 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर